झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–65 / 2020

धनुपूरन लोहार .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री आर0सी0पी0 साह, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: सुश्री श्राबणी सान्याल, ए0पी0पी0।

2 / 15.01.2020 श्री आर0सी0पी0 साह, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और सुश्री श्राबणी सान्याल, राज्य के लिए ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता, तिरूल्डीह थाना काण्ड संख्या 03 / 2019 के संबंध में एक आरोपी है।

याचिकाकर्त्ता ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण के लिए आवेदन किया था। यह आरोप लगाया गया है कि 7,00,000 / – रूपये को मंजूर किया गया था और याचिकाकर्त्ता के खाते में जमा किया गया और कुछ किश्तों के बाद याचिकाकर्त्ता ने आगे भुगतान करना बंद कर दिया। याचिकाकर्त्ता का ऋण खाता एन0पी0ए0 हो गया। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्त्ता ने खुलासा किया कि उसके पास आर0सी0 बुक नहीं है और

इसलिए याचिकाकर्त्ता पर संदेह किया गया है कि वह ऋण राशि चुकाने का इरादा नहीं कर रहा था।

आरोपों के सारे पहलुओं से यह प्रतीत होता है कि यह दीवानी नागरिक परिणामों को आकर्षित करेगा क्योंकि यह याचिकाकर्त्ता द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान न करने के संबंध में है। याचिकाकर्त्ता 13.09.2019 से हिरासत में है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त याचिकाकर्त्ता को 10,000/– रूपये (केवल दस हजार रूपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सरायकेला की संतुष्टि पर तिरूल्डीह थाना काण्ड संख्या 03/2019 के संबंध में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है।

(आर0 मुखोपाध्याय, न्याया0)